**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय**

**रक्षा उत्पादन विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 3855**

**02 अप्रैल, 2018 को उत्‍तर के लिए**

**ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड को सहमति ज्ञापन लौटाया जाना**

**3855. डा. वी. मैत्रेयन :**

क्‍या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकार ने ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड को जुलाई, 2017 में सहमति ज्ञापन प्रस्ताव यह कहते हुए लौटा दिया था कि ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा गलत प्रक्रिया अपनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो ग्रैंड पावर बोस्का बिस्टरिका फैसिलिटी में इंडियन डिफेंस अताशे के जरिए 2 अगस्त, 2017 को कंपनी का सत्यापन कराने के पीछे की क्या मंशा है ;

(ग) क्या इस सच को दबा दिया गया था और राज्य सभा और लोक सभा के उत्तर में प्रकट नहीं किया गया ; और

(घ) क्या सरकार ने इस मुद्दे की जांच कराई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**उत्‍तर**

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष भामरे)**

(क): जी, हां । आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) द्वारा भेजे गए समझौता ज्ञापन के प्रस्ताव को जुलाई, 2017 में वापस लौटा दिया गया था क्योंकि उसमें प्रक्रियागत कमियां पाई गई थीं ।

(ख): रक्षा अताशे (डीए), प्राग ने सूचित किया है कि विदेश मंत्रालय के माध्यम से गृह मंत्रालय के अनुरोध पर 02 अगस्त, 2017 को ग्रैंड पावर, स्लोवाकिया कंपनी का मूल्यांकन / सत्यापन कराया गया था ।

(ग) और (घ): जी, नहीं । रक्षा अताशे, प्राग की रिपोर्ट पर राज्य सभा और लोक सभा में तारांकित प्रश्न सं. 26 और 78 का उत्तर दिया गया था कि रक्षा मंत्रालय / आयुध निर्माणी बोर्ड / सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों के अनुरोध पर किसी भी कंपनी का सत्यापन नहीं करवाया गया था । दिनांक 05 फरवरी, 2018 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 26 के संबंध में दिए गए उत्तर के बारे में माननीय संसद सदस्य के पत्र के आधार पर आगे और की गई जांच में रक्षा अताशे, भारतीय दूतावास, प्राग ने यह सूचित किया है कि उन्होंने विदेश मंत्रालय के जरिए प्राप्त गृह मंत्रालय के अनुरोध के आधार पर फर्म की विश्वसनीयता के मूल्यांकन / सत्यापन के लिए 02 अगस्त, 2017 को फर्म मैसर्स ग्रैंड पावर, स्लोवाकिया का दौरा किया था ।

\*\*\*\*\*\*